न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्यामकिशोर शुक्ला तनय ददन प्रसाद शुक्ला, 60 वर्ष, निवासी ग्राम तिघरा, थाना/तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

———आवेदक

बनाम्

श्रीमती श्यामवती पुत्री स्व0 हीरालाल पत्नी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम कपसा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

2-- श्री नीलमणि अग्निहोत्री अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया/सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

3— श्री सतेन्द्र सिंह, रीड़र अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

4— श्री मोहितलाल साकेत, हल्का पटवारी, पटवारी हल्का लैन बधरी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

———अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19/09/2018 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश का पालन न कर तथा श्रीमती श्यामवती द्वारा भी माननीय न्यायालय के स्थगन का पालन न कर राजस्व प्रकरण क0—241ए/अपील/17—18 में दिनांक 24/09/18 को आपस में दुरभि संधि

कर प्रकरण में गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाकर दोनो अनावेदको को विधि अनुसार दण्डित किये जाने एवं अन्य कार्यवाही कराये जाने वावत् प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 न्यायालय के आदेश के अवमानना के तहत आवेदन पत्र

मान्यवर,

आधार प्रार्थना पत्र निम्न है :–

1– यह कि आवेदक ग्राम तिघरा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0 का पुस्तैनी निवासी है, उसके द्वारा कर्ता खानदान की हैसियत से दर्ज भूमि खसरा कमांक–57/2 के बटवारा नामांतरण की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार, तहसील सेमरिया, से जिसका राजस्व प्रकरण क0–98–अ–27/13–14 के द्वारा कराई थी जिसमें अनावेदक क0–1 को विधिवत् सूचना जारी कराई गई थी, किन्तु उक्त वर्णित भूमि में आवेदक का 1/2 हिस्सा होना मानते हुये अनावेदक क0–1 प्रकरण में साधारण सम्मन एवं चस्पानगी के सम्मन के बाद भी उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बटवारा आदेश, तहसीलदार, तहसील सेमरिया द्वारा पारित किया गया था जिसकी इत्तलायाबी राजस्व अभिलेखो में भी हो गई थी ।

2– यह कि उक्त आदेश के विरूद्ध अवधि वाह्य अपील अनावेदक क0–1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया की न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें आवेदक को आहूत किया गया, किन्तु अनावेदक क0–2 द्वारा प्रकरण की कोई फाईल देखने

(126) (183)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-विविध/6098/रीवा/18

श्याम किशोर शुक्ला विरूद्ध श्रीमती श्यामवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19	आवेदक अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी उपस्थित। अनावेदकगण अधिवक्ता श्री मुरलीधर उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य कोई ठोस आधार नहीं होने से यह प्रकरण अग्राहय किया जाता है। **(मेहशचन्द्र चौधरी)** सदस्य	